



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित -

आज दिनांक 03.08.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice

7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री रमाकान्त शुक्ल द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी के दौरान वारण्टी अभियुक्त वीरु पुत्र अशोक उम्र 35 वर्ष निवासी माथुरनपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित मु0सं0 603311/12 धारा 323/504/506 भादवि गैरजमानतीय वारण्ट माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा जारी को मुहल्ला माथुरनपुरा से गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण-

वीरु पुत्र अशोक उम्र 35 वर्ष निवासी माथुरनपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट मु0सं0 603311/12 धारा 323/504/506 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रमाकान्त शुक्ल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली महोबा
2. कां0 अरुण कुमार थाना कोतवाली महोबा
3. कां0 उपेन्द्र कुमार थाना कोतवाली महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.08.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित टीम उ०नि० अवनीश कुमार यादव ने हमराही गणों की मदद से ताश के पत्तों से रूपयों की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तगण को मेला ग्राउण्ड सतियनपुरा से मय मालफड 4120/- रूपये व 52 अदद ताश पत्ता व जामा तालाशी 655/- रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 191/2022 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अवनीश कुमार यादव
2. कां० देवेन्द्र राजपूत
3. कां० महेश कुमार
4. कां० अजय प्रताप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

- (1) मातादीन पुत्र शीला अहिरवार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मु० राजावार्ड
- (2) रिजवान पुत्र अब्दुल खालिक उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मु० किशोरगंज
- (3) शहीद पुत्र बसीर उम्र करीब 36 वर्ष निवासी सतियनपुरा
- (4) नसुरुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासी किशोरगंज
- (5) नईम पुत्र उस्मान उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु० नजरबाग करम्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice

7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित / वारण्टी गिरफ्तार अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 03.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था के दौरान 01 नफर अभियुक्त मनोज अहिरवार पुत्र हरदयाल अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा, को सम्बन्धित मु0अ0सं0 224/2022 धारा 342/354/323/504 भादावि व 8 पाक्सो एक्ट थाना चरखारी जनपद महोबा को गुलमार्ग तिराहा कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना चरखारी जनपद महोबा
2. का हिमांशू कुमार थाना चरखारी .जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनोज अहिरवार पुत्र हरदयाल अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय में कोर्ट मोहर्रि व जनपद के समस्त थानों के पैरोकार के साथ गोष्ठी कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश ।

आज दिनांक 03.08.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा जनपद के समस्त थानों के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रि की मीटिंग ली गई, जिसमें उनको न्यायालय व थानों से संबंधित समस्त रजिस्टर अपडेट करते हुए न्यायालय में समय से गवाही करवाने व गंभीर एवं विशेष अपराधों में विधिवत पैरवी करने के संबंध में निर्देशित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि सभी थानों के पैरोकार न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने और कोर्ट में उनकी प्रभावी पैरवी करने पर जोर दिया जाये । सभी पैरोकार व मुंशी पुलिस स्तर से कोर्ट के कामकाज में किसी भी तरह की देरी न करें । सभी पैरोकार महत्वपूर्ण मामलों की एक अलग से डायरी बनाएं और उसे सूचीबद्ध करके रखें, जिससे अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहार, श्रावण मास के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 58 ई-चालान किये गये।



आज दिनांक **03.08.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहार, श्रावण मास के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

